

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/18, दिनांक : 18 जून-2018,
-:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-961/18 दिनांक 01.06.2018 द्वारा दिनांक 18.6.2018 से 23.06.2018 तक के लिए पीठ-1, व 2 नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 नोएडा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 नोएडा की खंड पीठ गठित की गयी थी।

उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 21.06.2018 को सदस्य पीठ-2 नोएडा के स्थान पर अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा दिनांक 22.06.2018 को सदस्य पीठ-प्रथम नोएडा के स्थान पर अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की जाती है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।


सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

18.06.18
(विकार अहमद अन्सारी)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1142 /2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय नोएडा।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-श्री बी0एम0शर्मा, पेशकार, मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त खंड पीठ की अवधि में नोएडा पीठ में उपस्थित रहें।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,


प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।